न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 25 / 2021

आजाद सिंह पुत्र अमरसिंह ग्राम व पो0 साबुआना, तह0 टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।

बनाम

उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 22.03.2021**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट आजाद सिंह पुत्र अमरसिंह ग्राम व पो0 साबुआना, तह0 टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 21.12.2020 उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से सूचना चाही गई थी। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 197 दिनांक 01.03.2021 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से उनके पत्र कमांक / 285 दिनांक 05.03.2021 के द्वारा जवाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाएें उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से प्राप्त जवाब पत्र कमांक 285 दिनांक 05.03.2021 का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी ने अपने जबाव में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय से सम्बन्धित नहीं होने के कारण कार्यालय पत्रांक 56 दिनांक 12.01.2021 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 6(3) के तहत प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम भरतपुर को स्थानान्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर द्वारा अपने जबाव की ताईद में उनके कार्यालय के पत्रांक 56 दिनांक 12.01.2021 की प्रति भी संलग्न की गई है। साथ ही इस बावत प्रार्थी को भी उक्त पत्र की प्रतिलिपि कमांक 57 दिनांक 12.01.2021 भेजते हुए सूचित कर दिया गया है।

चूंकि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के कार्यालय से सम्बन्धित नहीं होने के कारण प्रार्थी का आवेदन प्रवंधक भारतीय खाद्य निगम भरतपुर को धारा 6(3) के तहत हस्तांतरित किया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अपीलान्ट वांछित सूचना हेतु प्रवंधक भारतीय

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

खाद्य निगम भरतपुर के कार्यालय से सूचना प्राप्ति हेतु कार्यवाही करे। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी भरतपुर को भी भेजी जावे।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर